



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

दिनांक 29/11/22

क्रमांक: एफ. 14(OFC)2021/एफसीए/प्रमुवसं./3997

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

विषय:- Permission for laying underground OFC in Forest area along PWD road from Vijaipur-Rooppura from Lat/Long 24.791558/75.718341 to 65172/75.740787 for total length of 4.063 KM and total area 0.1828 ha. roads in Chittorgarh District, Rajasthan.
(Proposal No. FP/RJ/OFC/144983/2021)

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक 8189 दिनांक 17.11.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:-

1. पार्ट-1 में यूजर एजेन्सी द्वारा ग्रामवार वन क्षेत्र का विवरण अंकित नहीं किया गया है।
2. प्रस्तावित ओ.एफ.सी. केबल सड़क किनारे डाली जानी है इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव में सही डी.जी.पी.एस. मैप संलग्न नहीं है।
4. प्रकरण में उप वन संरक्षक द्वारा एन.पी.वी. की गणना किन नियमों के आधार पर की गई है, भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार गाईड लाईन के पैरा 3.5.4 के अनुसार प्रकरण में कोई भी वृक्ष पातन नहीं होने के कारण एन.पी.वी. में छूट है।
5. उप वन संरक्षक की साईड इन्फेक्शन रिपोर्ट में वनखण्ड का नाम एवं अभिशंषा अंकित नहीं की गयी है।

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 29/11/22

क्रमांक: एफ. 14(OFC)2021/एफसीए/प्रमुवसं./3998-99

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़
2. Jio Digital Life Private Limited, Kota, Rajasthan.

d
(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर